

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर


(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एस्टे/एम/एफ.10(AC)/आर.एम.(टी)/डीएलबी/20/4576 दिनांक:- 31/05/2022

आदेश

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य की निकायों में कार्मिकों (तकनीकी, लेखा, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ संवर्ग) के पदों की रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिला कलक्टरों को उनके जिले की निकायों में रिक्त पदों पर अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों को समीपवर्ती निकाय में अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एस्टे/एम/एफ.10(TR-12)/आर.एम.(टी)/डीएलबी/20/4577-519 दिनांक:- 31/05/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक